



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 33757 SEIAA/2022

Date: 17/3/22

प्रति,

मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट,
प्रोपराईटर, श्री विजय गोस्वामी,
निवासी 25, सिंधी कॉलोनी, महारानी लक्ष्मी वार्ड, जिला सिवनी (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र. 7321/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जय महाकाल एसोसिएट, प्रोपराईटर, श्री विजय गोस्वामी, निवासी 25, सिंधी कॉलोनी, महारानी लक्ष्मी वार्ड, जिला सिवनी (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9900 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 21.0 हेक्टेयर, खसरा 671, 01, 507, ग्राम खुरसीपार- सकरी-अरंडिया, तहसील केवलारी, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण SEAC समिति द्वारा SEAC की 547 वी बैठक दिनांक 09.02.2022 में अनुशांसा उपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 708 वी बैठक दिनांक 24.2.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guideline 2016 & Enforcement and moitoring guideline for sand 2020 के अनुसार एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ.ए. नम्बर 456/2018, 726/2018 के आदेश दिनांक 04.11.2020 व माननीय उच्चतम न्यायालय के अपील क्र. 3661/2020 के आदेश दिनांक 10.11.2021 एवं माननीय एनजीटी (विशेष पीठ) के आदेश दिनांक 22.02.2022 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में प्रत्येक पाँच वर्ष में प्रदेश के समस्त जिलों की अपडेटेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज शाखा जिला कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, तदोपरांत राज्य शासन/SEAC द्वारा परीक्षण एवं SEIAA द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया निर्धारित है।

उपरोक्त प्रक्रिया के परिपालन में राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय के उल्लेखित निर्णय में दिये गये निर्देशानुसार प्रस्तावित खदान की वांछित सम्पूर्ण जानकारी, नवीन जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने एवं अनुमोदन होने तक प्रकरण को Delist किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक, जिला कलेक्टर सिवनी, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं कार्यपालन संचालक, म.प्र. खनिज निगम सहित सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण Delist कया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 3376 /SEIAA/2022

दिनांक - 17/3/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला - सिवनी (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - सिवनी (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. कार्यपालन संचालक, म.प्र. खनिज निगम पर्यावास भवन ब्लाक ए- द्वितीय तल जेल रोड एरेरा हिल्स भोपाल
9. जिला खनिज अधिकारी, जिला - सिवनी (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी